



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन प्रभाग)

अपने पशुओं को गलाघोंटू एवं लंगड़ी रोग से बचाएँ

गलाघोंटू रोग

परिचय :- यह जीवाणु जनित एवं घातक रोग है जो अधिकतर वर्षाकाल में होता है। यह रोग सामान्यतः गो जाति एवं भैंस जाति के पशुओं को प्रभावित करता है।

लक्षण :- तेज बुखार, गर्दन एवं मुँह पर सूजन, मुँह से लार टपकना, नाक से गाढ़ा श्राव निकलना आदि। जीभ और गले की सूजन बढ़ जाने पर सांस लेने में कठिनाई, जीभ निकालकर सांस लेना एवं घर-घर की आवाज करना।

रोग से बचाव :- लक्षण प्रकट होते ही तुरन्त पशु चिकित्सक से सम्पर्क करना चाहिए। रोगी पशु को स्वच्छ एवं खुली हवा में रखना चाहिए। इस रोग से बचाव हेतु टीकाकरण कराना चाहिए। पहला टीका छः से आठ माह की उम्र में एवं तत्पश्चात् वर्ष में एक बार बराबर अन्तराल पर वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले कराना चाहिए। रोग ग्रस्त पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें, रोग से मरे हुए पशुओं को छः फुट गहरा जमीन में गाड़ देना चाहिए अथवा शव को जला देना चाहिए। जिस स्थान पर पशु मरा हो उस स्थान की मिट्टी पर किरासन तेल डालकर यथासंभव जला देना चाहिए या उस स्थान की सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। पशुओं को बरसाती घास नहीं खिलाएँ एवं गड्ढों तथा तालाब पोखरों का पानी नहीं पिलाना चाहिए, पशुओं का आहार पौष्टिक तथा स्वादिष्ट होना चाहिए।

सामान्य सुझाव :- पशुओं के रहने का स्थान साफ-सुथरा होना चाहिए, बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर दिया जाए।

उपचार :- रोग ग्रस्त पशुओं का उपचार सदैव कुशल पशु चिकित्सक/सरकारी पशु चिकित्सालय में ही करावें। नीम हकीम के चक्कर में कभी न पड़ें।

लंगड़ी रोग

परिचय :- यह जीवाणु जनित एवं घातक रोग है जो अधिकतर वर्षाकाल में होता है। यह रोग सामान्यतः गो जाति एवं भैंस जाति के जवान पशुओं (10 माह से 2 वर्ष की उम्र वाले) को प्रभावित करता है।

लक्षण :- तेज बुखार, जाँघों के उपर, कंधों या गर्दन पर दर्द एवं सूजन होती है। पशु लंगड़ाकर चलता है। बाद में चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। सूजन के भाग को छूने और दबाने पर चड़चड़ाहट की आवाज होती है। कभी कभी सूजन सड़े घाव में बदल जाता है। शरीर का तापमान गिरने से पशु की मौत भी हो जाती है।

रोग से बचाव :- लक्षण प्रकट होते ही तुरन्त पशु चिकित्सक से सम्पर्क करना चाहिए। रोगी पशु को स्वच्छ एवं खुली हवा में रखना चाहिए। पहला टीका छः माह की उम्र तथा उसके बाद वर्ष में एक बार बराबर अन्तराल पर वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले कराना चाहिए। रोग ग्रस्त पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें, रोग से मरे हुए पशुओं को छः फुट गहरा जमीन में गाड़ देना चाहिए अथवा शव को जला देना चाहिए। स्वस्थ पशुओं को दूषित भूमि एवं चारागाह से अलग रखना चाहिए। मृत पशु के सम्पर्क में आयेँ भूमि पर किरासन तेल डालकर यथासंभव जला देना चाहिए या उस स्थान की सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। पशुओं को बरसाती घास नहीं खिलाएँ एवं गड्ढों तथा तालाब पोखरों का पानी नहीं पिलाना चाहिए, पशुओं का आहार पौष्टिक तथा स्वादिष्ट होना चाहिए।

सामान्य सुझाव :- पशुओं के रहने का स्थान साफ-सुथरा होना चाहिए, बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर दिया जाए।

उपचार :- रोग ग्रस्त पशुओं का उपचार सदैव कुशल पशु चिकित्सक/सरकारी पशु चिकित्सालय में ही करावें। नीम हकीम के चक्कर में कभी न पड़ें।

नोट :- इन रोगों से बचाव हेतु विभाग के द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत घर-घर जाकर दिनांक 22.06.18 से दिनांक 06.07.18 तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा जनहित में प्रचारित